हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 02 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

''आरक्षण में क्रीमीलेयर हटाने के लिए क्या मापदण्ड होंगे ? सुप्रीम कोर्ट''

शीर्ष अदालत ने समता आन्दोलन समिति की याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने के लिए क्या मापदंड तय किए जाएंगे। ये याचिकाएं ओपी शुक्ला और समता आंदोलन समिति ने दायर की हैं, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा पिछड़े वर्गों तक पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। ये याचिकाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर ''सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके लोग'' को आरक्षण के लाभ से बाहर करने की मांग से जुड़ी हैं।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार यह बताए कि क्रीमी लेयर को हटाने के लिए क्या मापदंड तय किए जाएंगे। यह आरक्षण दाखिले और सरकारी नौकरियों दोनों पर लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया भी शामिल थे।

याचिकाकर्ताओं की क्या मांग है

ये याचिकाएं ओपी शुक्ला और समता आंदोलन समिति ने दायर की हैं। इनका कहना है कि 1 अगस्त 2024 के अहम फैसले को लागू किया जाए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अपना पक्ष रखे। इसके बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।

कहां से आया क्रीमी लेयर का नियम

क्रीमी लेयर का सिद्धांत मंडल आयोग के फैसले से आया था। इसके तहत ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। एक अहम फैसले में सात जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्ग बना सकती हैं। इस फैसले में न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी लागू होता है।

याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें आंकड़े एकत्र करें। यह देखा जाए कि सरकारी सेवाओं में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष नियम तय किए जाएं। ताकि सबसे ज्यादा पिछड़े वर्गों को आरक्षण का सही लाभ मिल सके। साथ ही इसके लिए एक समय सीमा तय करने की भी मांग की गई है, ताकि सबसे ज्यादा वंचित वर्गों को जल्द मदद मिल सके।

समता आन्दोलन समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कोटा में सम्पन्न

यूजीसी का काला कानून जातिगत विद्वेषता फैलाने का षड्यंत्रः पाराशर नारायण

कोटा 21 फरवरी 2026। समता आंदोलन समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज महावीर नगर फर्स्ट में स्थित सनाढ्य भवन में आयोजित की गई।

सभी संभागों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के आयोजन के उद्देश्य से इस बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कोटा में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष समता आंदोलन समिति पाराशर नारायण शर्मा, पांचो संभाग के संभागीय अध्यक्ष सहित 14 जिलों के जिला अध्यक्ष महामंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लेकर अपनी अपनी बात रखी।

पाराशर नारायण शर्मा ने अपने उदबोधन में कहा कि यूजीसी के काले कानून संविधान के अनुच्छेद 15 के विरुद्ध, जातिगत वैमनष्यता फैलने वाला कानून है जिसे समता आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि वोटो के राजनीति के कारण लगातार सनातन संस्कृति के संवाहक बौद्धिक संवर्ग के ऊपर हमला किया जा रहा है। उन्होंने समता आंदोलन की रीति नीति व समता की उपलब्धियां का विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि समता आंदोलन समाज में समरसता और समानता के समावेशी की परिकल्पना करता है।

शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की घ्रणित राजनीति से ग्रस्त पार्टिया का षड्यंत्र सभ्य समाज के लिए कलंक है।

संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि समाज मे जहां तक जातिवादी आरक्षण व्यवस्था को

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में समता आन्दोलन के अधिकारियों द्वारा गहन विचार विमर्श

समाज अपने मंचों से नहीं उठाएंगे राजनेताओं के पिछलग्गू बने रहेंगे तो आने वालीं पीढी को कोई नही बचा पायेगा। अब समय आ गया है कि हम आरक्षण की जातिवादी व्यवस्थाए एससी-एसटी एक्ट एवं यूजीसी के काले कानून के विरुद्ध एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें इसके लिए 27 फरवरी 2026 को प्रात:11. 00 से कलेक्ट्री चौराहा कोटा पर विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सर्व समाज के सभी प्रतिनिधि भाग लेकर अपनी बात रखेंगे।

जिला महामंत्री रासबिहारी पारीक ने कहा कि इस काले कानून को क्या हमारे जनप्रतिनिधि स्वीकार करते हैं इस संदर्भ में ज्ञापन देकर उनसे उनका पक्ष जाना जाए।

इस अवसर पर उदयपुर संभाग के दूल्हासिंह चूडावतए डूंगरपुर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे, भरतपुर संभाग अध्यक्ष केदारनाथ पाराशर, जिला अध्यक्ष हेमराज गोयल, करौली जिला अध्यक्ष नरेश सिंह, बूंदी जिला अध्यक्ष डॉ गजेंद्र व्यास, जयपुर संभाग के अध्यक्ष ऋषि राज राठौड़, कोटा सम्भागीय महामंत्री कमल सिंह, सैनिक मंच प्रदेश अध्यक्ष कर्नल आई एस राजपुरोहित चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ श्याम सुंदर सेवता, बारां की जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा महामंत्री शिवनंदन एवं संभाग संयोजक राजेंद्र गौतम द्वारा भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए गए।

कोटा जिला अध्यक्ष गोपाल गर्ग द्वारा सभी का आभार व्यक्त कर 27 फरवरी को सर्व समाज के विशाल धरने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने जा आव्हान किया।

अध्यक्ष की कलम से

''सत्ता सावधान''

साथियों,

यूजीसी एक्ट न केवल समता आन्दोलन बल्कि पूरे भारत के लिए एक सदमे जैसा है हालाँकि कथित सवर्ण इससे पीडित और आन्दोलित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन, असल में ये भारत की वह आयामी संस्कृति को छीन भिन्न कर देने वाला दिखाई देने लगा है।

प्रश्न आता है कि आखिर किसकी मांग पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर यूजीसी ने इसे आनन-फानन में एक्ट के रूप में लागू कर दिया। हालांकि भाजपा की नीति सबका साथ सबका विकास इस एक्ट से मेल नहीं खाती है। तब सहज रूप से शक की सुई आर एस एस की तरफ घूम जाती है। इस संदर्भ में मोहन भागवत के बेतरतीब बयान और भाजपा की विशाल मतदाता नैट वर्किंग सत्ता को आश्वस्त करती है कि कुछ भी करो कोई नहीं बोलेगा !!

लेकिन कथित सवर्ण लोग ही नहीं भाजपा के कई नेता और विशेषकर कलराज मिश्र जैसे दिग्गज भी अपनी नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। इस एक्ट पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा पहली ही सुनवाई में स्टे किया जाकर फिर से नियम ''एक्ट'' लेखन का जो सुझाव दिया गया है। हम इसे भारत भू का सौभाग्य मानते है।

19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये कह पाना तो अभी कठिन है। लेकिन पूरे विपक्ष की शर्मनाक चुप्पी जहाँ डराती है वहीं सवर्णों द्वारा एक्ट को वापस लेने का दो टूक आव्हान सबको आश्वस्त भी करता है। केन्द्र सरकार को किसी सनक के तहत भारत को बर्बाद करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। सावधान केंद्र सरकार, सावधान !!

- जय समता

सम्पादकीय

''यूजीसी अर्थात जिद्-जड़ता की सनक''

जिद्-जड़ता चाहे किसी की हो। यदि उसे अंकुश में न दिया जाय तो वह सनक में बदल जाती है। आज ये सर्वोच्च स्तर पर प्रमाणित हो चुका है। सभी जानते हैं के केन्द्र और अनेक प्रदेशो में जो सरकारे हैं वे वास्तव में राष्ट्रीय स्वयम सेवक संघ का मुखौटा मात्र है। भीतर गहराई तक आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है। और इसी का परिणाम है देश को शर्मसार करने वाले यूजीसी नियमों का थोपा जाना।

भारत में जातियों कब से शुरू हुई इसे कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता है। आज देश में लगभग ग्यारह सो जातियों सूचीबद हैं और इनकी उपजातियों की संख्या लाखों तक जाती है स्पष्ट है कि यह मानव सम्भता का अद्भुत प्रयोग है। वस्तुत: जातियाँ कोई विचार नहीं अपितु सामाजिक प्रक्रिया है। अपनी भ्रमित मानसिकता में कभी जातियों को भारतीय समाज का सोंदर्य मानता है तो कभी यह सोचता है ये देश के विकास में बाधा है। संभवत: दूसरी सोच को राजनैतिक दृष्टि से उपयोगी मानकर वे उसे समाप्त करके जातिविहीन समाज बनाना चाहते हैं। यह एक प्रकार की सनक है।

यूजीसी नियमों पर कथित सामान्य वर्ग या कहें सवर्णों का विरोध अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पहली ही सुनवाई में इसे लागू करने पर रोक लगाकर सुधार करने को निर्देश सरकार को दिया है। उससे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि ये नियम संविधान सम्मत नहीं हैं। फिर भी केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे लागू करने की जो अधिसूचना जारी की है। वह साफ संकेत है कि जिसे हम केन्द्र सरकार कहते हैं वह किसी बाहरी नियंत्रण में काम कर रही है। अन्यथा ये संभव नहीं था कि धर्म के नाम पर सत्ता पाकर राज कर रही केन्द्र सरकार धर्माचार्यो को अन्यथा अपमानित और लांछित कर के यूजीसी की नियम जैसे प्रतिगामी कदम उठाती।

सब जानते हैं कि संवैधानिक रूप से एससी-एसटी और ओबीसीके नियम अलग है। आरक्षण की दृष्टि से एससी-एसटी को पिछडे के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रूप में स्थापित किया और ओबीसी को मंडल आयोग ने मान्यता दी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये हैं कि दोनों ही मूल संवैधानिक प्रावधानों से अलग और मनमाने हैं। इन दोनों को समान मानकर एससी-एसटी एक्ट की शर्तों में ओबीसी को शामिल कर देना वो भी बिना संसदीय बहस अथवा अनुमति के ये सब जिद और जड़ता नहीं सनक है।

कथित सवर्ण को आजादी के 78 साल बाद अपराधी मानसिकता को सिद्ध करता है यूजीसी एक्ट इस पर ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, सिन्धी, पंजाबी वर्ग का आंदोलित होना स्वाभाविक है। लेकिन ये आंदोलन हिंसक नहीं हुआ जैसा कि 2002 में एट्रोसिटी एक्ट में तनिक संशोधन के समय हुआ था। हमारा मानना है कि सभी सरकारे कुछ न कुछ मनमानी अवश्य ही करती हैं। केन्द्र सरकार ने भी की है। अभी भी समय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में सार्थक कदम उठाकर देश को जलने से बचाए। शिक्षा के कैंपस की पवित्रता खंडित न करे। अन्यथा सब कुछ बुरे अर्थो में बदल जायेगा।

जय समता विजय समता।

-योगेश्वर झाड़सरिया-

इक्विटी के नाम पर एक तरफा न्याय

-बालकृष्ण थरेजा-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'यूजीसी' ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन इंस्टिट्यूट रेगुलेशंस-2026 लागू कर दिया है। सरकारी विज्ञप्तियों और आधिकारिक बयानों में इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। लेकिन जब इन रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ा जाता है, तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, जो इस इक्विटी की आत्मा पर ही प्रश्नचिह्न लगा देते हैं।

इन नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में एक इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य होगा, जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव की शिकायतों पर सुनवाई करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। सिद्धांतत: यह व्यवस्था सराहनीय लगती है। कोई भी सभ्य समाज यह स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी छात्र के साथ उसको जाति के आधार पर भेदभाव हो। लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है, जहां यह पूरा ढांचा केवल तीन वर्गों तक सीमित कर दिया गया है।

हैरानी इस बात की है कि इन रेगुलेशंस में सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। क्या सरकार और यूजीसी ने यह मान लिया है कि भेदभाव केवल एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही हो सकता है क्या? सामान्य वर्ग का छात्र भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकता क्या ? वह अपमान, उपेक्षा या संस्थागत अन्याय का सामना करने में असमर्थ है।

यहां एक खतरनाक पूर्वधारणा साफ झलकती है कि सामान्य वर्ग वाला हमेशा विलेन होगा और एससी, एसटी, ओबीसी वाला हमेशा विक्टिम ही होगा। यह धारणा न केवल असंतुलित है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी घातक है। भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है। जाति के आधार पर ही नहीं, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सोच, या व्यक्तिगत रंजिश के आधार पर भी। फिर यह कैसा न्याय है, जिसमें एक वर्ग के लिए पूरा सुरक्षा कवच खड़ा कर भाजपा के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं यूजीसी के नए रेगुलेशंस दिया गया और दूसरे वर्ग के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया गया। सवाल यह भी है कि क्या यह सचमुच इक्विटी है, या केवल एक तरफ संरक्षण की नीति।

जनवरी 2025 में जबलपुर में आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर जो चेतावनी दी

> सामाजिक न्याय का असली अर्थ यह नहीं होता कि एक अन्याय को ठीक करने के नाम पर दूसरा अन्याय खड़ा कर दिया जाए। असली इक्विटी यह होती है, जिसमें हर नागरिक को समान संरक्षण मिले, समान सुनवाई मिले और समान सम्मान मिले। चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो।

थीए वह इस पूरे संदर्भ में बेहद प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने साफकहा था कि यदि हमें अधिकार मिले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। उन्होंने उन मिडिल मैनों का भी उल्लेख किया था, जो सरकारी मुआवजे और अन्य लाभों के लालच में झूठे एससी-एसटी मुकदमे दर्ज करवा देते हैं।

जब न्यायपालिका स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, तब शिक्षा संस्थानों में बनाए जा रहे ये नए रेगुलेशंस क्या उसी दिशा में एक और दरवाजा नहीं खोलेंगे? क्या इससे ऐसे मामलों की बाढ़ नहीं आ सकती, जहां व्यक्तिगत दुश्मनी, अंक विवाद, अनुशासनात्मक कार्रवाई या सामान्य टकराव को जातिगत भेदभाव का रंग दे दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सामान्य वर्ग का छात्र किस दरवाजे पर जाएगा? उसके लिए तो कोई इक्विटी कमेटी बनाई ही नहीं गई है।

केंद्र इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक मंशा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सरकार ने एससी-एसटी और ओबीसी वोटों को साधने के लिए यह रेगुलेशंस लागू किए हैं, क्योंकि इन वर्गों की संख्या अधिक है।

यह भी कहा जा रहा है कि यह कदम यूपी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि नीतियों को चुनावी गणित के तराजू पर तौला जाए। लेकिन राजनीति का इतिहास यह भी बताता है कि जो दांव तात्कालिक लाभ के लिए खेले जाते हैं, वही अक्सर दीर्घकाल में उल्टे पड़ जाते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की राजनीति में नेरेटिव सेट करने की ताकत अब भी बड़े पैमाने पर स्वर्ण वर्ग के पास है। पिछड़ा वर्ग परंपरागत रूप से उसी नेरेटिव के पीछे चलता आया है। स्वर्ण वर्ग मीडिया, सामाजिक विमर्श और बौद्धिक मंचों पर माहौल बनाता है। अगर उसे यह लगे कि सरकार उसके साथ खुला अन्याय कर रही है और उसे जानबूझकर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, तो वह सरकार के पक्ष में माहौल नहीं बनाएगा। और माहौल नहीं बना तो उसका असर केवल स्वर्ण वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। उसका प्रभाव एससी, एसटी और ओबीसी वोटों पर भी पड़ेगा।

यानी जिन वर्गों को खुश करने के लिए यह रेगुलेशंस लाए गए हैं वही वर्ग अंतत: इससे राजनीतिक रूप से लाभान्वित न हो पाए।

सरकार शायद यह भूल गई है कि न्याय का तराजू अगर एक ओर झुक जाए, तो दूसरी ओर खड़े लोग उसे न्याय नहीं, पक्षपात ही मानेंगे। तिलक, तराजू और तलवार जैसे नारे भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हों, लेकिन अगर नीतियों में संतुलन नहीं रहा, तो समाज के भीतर वही भावनाएं नए रूप में जन्म ले सकती हैं।

सामाजिक न्याय का असली अर्थ यह नहीं होता कि एक अन्याय को ठीक करने के नाम पर दूसरा अन्याय खड़ा कर दिया जाए। असली इक्विटी यह होती है, जिसमें हर नागरिक को समान संरक्षण मिले, समान सुनवाई मिले और समान सम्मान मिले। चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो।

यूजीसी को चाहिए था कि वह ऐसे रेगुलेशंस लाती, जो हर छात्र को भेदभाव से बचाने का अधिकार देते। अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र भी जातिगत, संस्थागत या व्यक्तिगत द्वेष के कारण परेशान किया जाता है, तो उसे भी उसी इक्विटी कमेटी के सामने जाने का अधिकार होना चाहिए। वरना यह पूरा ढांचा इक्विटी नहीं, बल्कि सेलेक्टिव इक्विटी कहलाएगा।

आज सवाल यह नहीं है कि एससी, एसटीए ओबीसी को सुरक्षा क्यों दी जा रही है। सवाल यह है कि सामान्य वर्ग को क्यों पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या वह भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकता? क्या उसकी शिकायतें लोकतंत्र के लिए गैरजरूरी हैं?

यदि सरकार वास्तव में सामाजिक सौहार्द और न्याय चाहती है, तो उसे इन रेगुलेशंस की समीक्षा करनी चाहिए। इन्हें संतुलित, निष्पक्ष और सर्वसमावेशी बनाना चाहिए। वरना यह नियम जातिगत तनाव कम करने की बजाय नई दरारें पैदा करेंगे। और तब इतिहास यह दर्ज करेगा कि इक्विटी के नाम पर लाया गया एक तरफा न्याय समाज को जोड़ने की नहीं, बल्कि तोड़ने की भूमिका निभा गया।

पौराणिक कथन : ''तंत्र''

उपासना सम्बंधी एक शास्त्र । आगम, भामल, मुख्यतंत्र इसके तीन भाग। इसके ज्ञाता भोगी कहलाते हैं।

हम क्यूँ मानें, हम क्यूँ मानें,
जातिवाद बस जड़ता जाने,
संविधाान है प्राण देश का-
वे कहते हैं हम क्यूँ मानें ।।

कविता

''चार मुक्तक- टिल्ली ली ली''

(1)
नेताओं की नयी सोच से
रक्षक भक्षक एक हो गये।
जिनका काम जगाना भर था,
वे सब चादर ओढ सो गये।
भावों के इस असमंजस में,
सभी व्यवस्था हुई निठल्ली।
बदला गीता सार जहाँ में,
कर्मयोग की टिल्ली ली ली ।।

(2)
ऐसे वैसे जैसे तैसे,
जो चलता उसको चलने दो।
कलियुग रामराज आने तक,
हर उगता सूरज ढलने हो।
जो होता है हो जाने दो,
जात अमावस बात नशीली।
अधिक हुये चौकन्ने तो वे,
कर डालें गे टिल्ली ली ली ।।

(3)
इतिहासों की गाय दूह कर
वे चाहे मक्खन घटे भरना।
वर्तमान मंगल पर संकट
कहते हैं शुभ खुद कर मरना।
नयी लेखनी नयी दवातें,
लिखें कथा हिंसक दर्दीली।
सब आरक्षित करना चाहें
लोकतंत्र की टिल्ली ली ली ।।

(4)
बंदनवर बने निज आलय,
पुलकित मन के सहज चितरे।
क्योंकर मन को करें सशंकित,
रात दिवस सम तेरे मेरे।
आपस में जुड़ चलें सभी तो,
दिख सकते ज़्यों मक्की छल्ली।
आरक्षण को धता बताओ,
जाति धर्म हो टिल्ली ली ली ।।

– समतावादी –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यो नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते है और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघान होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

पूरे राजस्थान में यूजीसी एक्ट के खिलाफ समता आन्दोलन का सक्रिय विरोध

भेदभाव खत्म करने के नाम पर सवर्णों के साथ घनघोर भेदभाव

दौसा। समता आन्दोलन के प्रतिनिधियों एवं सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों की बैठक भगवान सिंह चावंडेडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यूजीसी एक्ट एवं एससी.एसटी एक्ट के विरोध में 1 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आंदोलन के संचालन हेतु एक कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सवर्ण समाज के खिलाफ निर्णय ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में एससी-एसटी एक्ट में जांच के बाद गिरफ्तारी का फैसला दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस निर्णय को बदलते हुए सीधी गिरफ्तारी की अधिसूचना जारी कर दी। हाल ही में लागू किए गए यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन यदि यह लागू हो गया तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सवर्ण समाज के छात्रों को प्रताड़ित किया जाएगा।

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार भेदभाव खत्म करने के नाम पर सवर्णों को निशाना बना रही है। विश्वविद्यालयों में ब्राह्मणवाद और तिलक तराजू व तलवार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति के चलते जातियों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया गया।

उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग की संख्या को कम दिखाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। जब तक हम संगठित होकर सरकार को जवाब नहीं देंगे, तब तक ऐसे विधेयक आते रहेंगे।

बैठक में यह भी कहा गया कि अंबेडकर वैलफेयर सोसायटी दो छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे को लेकर एससी-एसटी एक्ट लागू करने का दबाव बना रही है, लेकिन सरकार यह नहीं देख रही कि आरक्षण ने सामान्य वर्ग के कितने बच्चों की जान ले ली है।

वक्ताओं ने कहा कि आरक्षण और एससी.एसटी एक्ट के चलते प्रतिभाशाली छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इन घटनाओं को नहीं दिखाती। यदि किसी दलित के साथ सामान्य घटना भी हो जाती है तो उसे प्रमुखता से दिखाया जाता है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि एससी-एसटी एक्ट के दुष्परिणाम भयंकर होंगे और विदेशी ताकतें इनको फंडिंग कर रही हैं ताकि देश को कमजोर कर पुनः गुलाम बनाया जा सके।

यूजीसी एक्ट के विरोध में समता आंदोलन समिति अलवर द्वारा कैंडल मार्च

अलवर। समता आंदोलन समिति के बैनर तले स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा यूजीसी एक्ट के विरोध में शहीद स्मारक पर एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में कैंडल जलाकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया गया।

समता आंदोलन समिति के आंदोलनकारी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए यूजीसी एक्ट के विरोध में समता आंदोलन समिति सहित स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए और नए प्रावधानों का विरोध किया।

सभा को संबोधित करते हुए समता आन्दोलन समिति के अध्यक्ष राम अवतार सिंह चौहान ने शहीद स्मारक से इस एक्ट का समर्थन कर रही राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मतदान करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक दल यूजीसी एक्ट का समर्थन करेगा, उसके विरोध में नगर निकाय चुनाव में मतदान किया जाएगा तथा जनप्रतिनिधियों के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक यूजीसी एक्ट वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। शहीद स्मारक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भाग न लेने की भी शपथ दिलाई गई।

युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने नए यूजीसी एक्ट को राष्ट्र को जातियों में विभाजित करने वाला बताया कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर यूजीसी एक्ट एवं प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में समता आंदोलन एवं स्वर्ण समाज के पुरुष एवं मातृशक्ति उपस्थित रही।

यूजीसी एक्ट के विरोध में समता आंदोलन समिति अजमेर का विरोध प्रदर्शन

अजमेर। समता आंदोलन समिति एवं समस्त सवर्ण समाज के लोगों द्वारा यूजीसी एक्ट के विरोध में नया बाजार, अजमेर पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

समता आन्दोलन एवं समस्त सवर्ण समाज ने प्रावधानों की प्रतियाँ जलाकर केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुये केन्द्र के सवर्ण मंत्रियों को कुरियर से चूड़िया भेजी।

समता आंदोलन समिति के जिला अध्यक्ष केजी मोदानी ने कहा कि सरकार शायद यह भूल गई है कि न्याय का तराजू अगर एक ओर झुक जाए, तो दूसरी ओर खड़े लोग उसे न्याय नहीं, पक्षपात ही मानेंगे। तिलक, तराजू और तलवार जैसे नारे भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हों, लेकिन अगर नीतियों में संतुलन नहीं रहा, तो समाज के भीतर वही भावनाएं नए रूप में जन्म ले सकती हैं।

उन्होंने आगे बताया कि यूजीसी को चाहिए था कि वह ऐसे रेगुलेशंस लाती, जो हर छात्र को भेदभाव से बचाने का अधिकार देते। अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र भी जातिगत, संस्थागत या व्यक्तिगत द्वेष के कारण परेशान किया जाता है, तो उसे भी उसी इक्विटी कमेटी के सामने जाने का अधिकार होना चाहिए। वरना यह पूरा ढांचा इक्विटी नहीं, बल्कि सेलेक्टिव इक्विटी कहलाएगा।

उन्होंने कहा कि यह कैसा न्याय है, जिसमें एक वर्ग के लिए पूरा सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया गया और दूसरे वर्ग के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया गया। सवाल यह भी है कि क्या यह सचमुच इक्विटी है, या केवल एक तरफ संरक्षण की नीति।

''नीच'' शब्द जातिसूचक गाली नहीं, एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई रद्द

जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने डायरेक्टर व प्रोफेसर में मारपीट केस से धाराएं हटाईं

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच हुए विवाद के केस में कहा कि नीच शब्द कहना मात्र जाति के आधार पर अपमान नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने डॉ. दीपक अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने शनिवार को ऑर्डर पास किया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने स्वरण सिंह बनाम राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत अपमान सार्वजनिक दृष्टि में होना चाहिए। यह घटना डायरेक्टर के बंद चैंबर में हुई थी, जहां जनता की पहुंच नहीं थी। इसलिए इसे पब्लिक व्यू नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'नीच' शब्द का अर्थ नीच या अधम होता है, जिसका उपयोग किसी के खराब नैतिक चरित्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह किसी विशेष समुदाय या जाति का नाम नहीं है। कोर्ट ने पूर्व के फैसलों अचल सिंह बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए कहा कि नीच कहना जाति आधारित अपमान की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आईआईटी डायरेक्टर लोक सेवक नहीं है।

पूरा मामला 2 सितंबर 2025 का है। आईआईटी जोधपुर के कार्यवाहक रजिस्ट्रार अंकुर गुप्ता ने करवड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक अरोड़ा संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के ऑफिस में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हो गया था। प्रोफेसर दीपक अरोड़ा ने डायरेक्टर पर हमला कर दिया था। वहां मौजूद ऑफिस असिस्टेंट विवेक गौतम और अन्य ने बीच-बचाव किया तो प्रोफेसर दीपक ने विवेक गौतम के साथ मारपीट की। 'नीच' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दीं। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धाराओं के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। इसे डॉ. दीपक अरोड़ा की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील राजेश जोशी, हर्षित बोरानी ने तर्क दिया कि यदि एफआईआर के तथ्यों को सच माने तो एससी-एसटी एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। 'नीच' शब्द किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि यह किसी के चरित्र को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द है।

** विनम्र श्रद्धांजली **

न्यायमूर्ति श्री पानाचंद जैन की स्तुति को हम सौ बार प्रणाम करते है। वे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो सदियों में एक बार पैदा होता है। समता आन्दोलन के संरक्षक के रूप में वे शुरू से ना केवल साथ रहे बल्कि पूरी तरह सक्रिय और मार्गदर्शक के रूप में प्रभावी रहे। उनकी उर्जा और समझ समता आन्दोलन के लिए एक प्रेरणा का स्त्रोत रही। समता आन्दोलन को इनकी कमी हमेशा खलती रहेगी।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in